मद 4(1)(ख)(iv)

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

<u>कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड</u>

कंपनी में विभिन्न कार्यों के निर्वहन के लिए सुपरिभाषित प्रक्रियाएं एवं दिशा-निर्देश है। ये नीचे दिए गए हैं:

<u>शक्तियों का प्रत्यायोजन:</u>

निदेशक मंडल ने कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को शक्ति प्रत्यायोजित की है जिसके लिए अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों का उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर निर्वहन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और अधिकारियों को शक्ति प्रत्यायोजित की है। शक्तियों का प्रयोग कंपनी अधिनियम, सरकारी दिशा-निर्देशों और किसी अन्य सांविधिक अपेक्षा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। शक्ति का प्रत्यायोजन मैमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, संबंधित नीति, दिशा-निर्देश और कंपनी के प्रशासनिक अनुदेश के अधीन होता है।

<u>संरचित नीतियां और दिशानिर्देश:</u>

आरईसी लिमिटेड में कंपनी के प्रमुख कार्यकलापों को शासित करने के लिए सुसंरचित नीतियां और दिशा-निर्देश हैं। कार्यों का निर्वहन करते समय, अधिकारी इन निर्धारित नीतियों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।

मैनुअल/दिशा-निर्देशः

आरईसी लि. में सभी महत्वपूर्ण कार्यकलापों अर्थात प्रापण दिशा-निर्देश, मानव संसाधन, मैनुअल डीडीयूजीजेवाई, डीडीजी दिशा-निर्देशों आदि को शामिल करते हुए प्रक्रियात्मक मैनुअल/दिशा-निर्देश हैं। यह दिशानिर्देश व्यवस्थित और मानकीकृत तरीके से कार्यकलापों को करना सुनिश्चित करते हैं तथा विवेक का प्रयोग करने के अवसर को समाप्त करते हैं। इन दिशा-निर्देशों द्वारा शामिल किए गए कार्यों का निर्वहन करते हुए, अधिकारी इन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का पालन करते हैं।

लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देश:

आरईसी लिमिटेड के एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्‍यम होने के नाते लोक उद्‍यम विभाग के दिशा निर्देशों और समय-समय पर जारी किए गए भारत सरकार के निर्देशों का पालन करता है।

मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा निर्देश:

आरईसी लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्‍यम होने के नाते केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करता है।

सूचियन अपेक्षा:

आरईसी लिमिटेड एक सूचीबद्‍ध कंपनी होने के नाते सेबी के नियमों और विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचियन करारों के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

संविधि के प्रावधानों का अनुपालन, आदि:

संबंधित कार्यों का निर्वहन करते हुए, अधिकारी को लागू सभी संविधियों और नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित होता है।

विभिन्न मानदंडों, नियमों और निर्धारित दिशा-निर्देशों अथवा प्रयोजन के जरिए निगम के कार्यों को एक दक्ष और प्रभावी तरीके से निर्वहन की जाने की अपेक्षा है, जैसे -

क. कारोबार नैतिकता का पालन करना,
ख. उत्कृष्टता के लिए उत्साह और परिवर्तन के लिए उत्साह,
ग. उपभोक्ता अपेक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना,
घ. प्रतिबद्‍धताओं का कड़ाई से अनुपालन,
ङ. निगम के प्रूडेंशियल मानदंडों का अनुपालन,
च. राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं, आवश्यक एवं उपयुक्त स्वीकृतियों के रूप में भी वित्तीय और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का अनुमान लगाने के लिए सभी इनपुटों की उपलब्धता और पर्याप्तता की आवश्यकता है,
छ. सभी मामलों में सत्य निष्ठा और निष्पक्षता,
ज. मानव की इज्जत और सभ्यता का आदर करना,
झ. उत्तर की गति सुनिश्चित करना,

ये मानदंड सामान्य रूप से निगम के विभिन्न कार्यों में वित्तीय परिसम्पत्तियों, अर्थव्यवस्था, मितव्ययिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, प्राकृतिक न्याय आदि के सिद्धांतों का अपेक्षित अनुपालन करने के साथ कारोबार और उत्तरदायित्वों का निरवहन दक्ष और शीघ्रता से करने की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। वाणिज्यिक संगठन होने के कारण ग्राहकों और पणधारकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा और उत्पाद देने की प्रतिबद्धता कारोबार के निपटान के लिए मानदंडों और नियमों को उच्च प्राथमिकता देता है।

प्रकिया जिससे इन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है: - प्रक्रिया से संबंधित संगत सूचना, जिससे ये सेवाएं आरईसी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली संहिता के तहत दी जा सकती हैं, का लिंक नीचे दिया गया है:-

<u>आरईसी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली संहिता</u>

लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय सीमा:- लक्ष्यों को हासिल करने के लिए समय सीमा संबंधी सूचना आरईसी लिमिटेड की आरईसी की निष्पक्ष कार्यप्रणाली संहिता में उल्लिखित है।

शिकायतों का निपटान करने की प्रक्रिया:- शिकायतों से संबंधित तंत्र आरईसी लिमिटेड की निष्पक्ष कार्यप्रणाली संहिता में उल्लिखित है।